


FORM No. III

2021/623

फर्द अहकाम
(दियम 26)

अति आवश्यक
"प्रशासन गांवों के संग" अभियान, 2021

जज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम जंदाकु
 बनावत श्याम सुन्दर शर्मा बनावत राजेश सरकार
 किरम मुकदमा दुरुस्ती नं० 82/2021 रान् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/21	<p>आप दिनांक 8/10/21 को प्रशासन जेती के संग अभियान-2021 शिविर धतावड में प्रार्थी श्याम सुन्दर शर्मा के प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व जमावन्दी खाता सं० 169-166, 170-167, 171-168, 172-169 सम्बन्धित 2021-2021 में दर्ज नाम मनीष पुत्र राजेन्द्र कुमार के स्थान पर श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति-बाहण सा.देह खालेदार कराने का निवेदन किया। साथ में आधार कार्ड, मूल-निवास पत्र पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डी अंक तालिका पेश की। हमने प्रार्थी प्रार्थना पत्र छावत पदवती हल्का गिर धावर उप-तहसीलदार छोदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की। शिविर में उपस्थित आम जन से जानकारी कि आम-जन, सरपंच, धतावड ने प्रार्थी का सही नाम श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा होता जादिर किया। साथ ही जमावन्दी में दर्ज नाम मनीष पुत्र राजेन्द्र को गलत बताया।</p>	

अतः उपरोक्त निवेदन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती शिवकार मोग

अति आवश्यक
प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021

पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।
तहसीलदार वसवा - उप-तहसीलदार
बांदीकुई को आदेश दिये जाते हैं कि
ग्राम धनावक तह - वसवा, राजस्व
जमावन्दी सम्वत् 2076-2077 के खाता
सं० 169-161, 170-167, 171-168, 172-169
में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि मनीष पुत्र राजेन्द्र
जालि - वाहण सा. देह खालेदार के
स्थान पर श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र
राजेन्द्र वुनाट जालि - वाहण
शा. देह खालेदार दर्ज किया जाये।
उपरोक्त अनुसार नियम अनुसार
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल कर
तहरीर जादी हो. पगावली दर्ज रजिस्टर
दोफार बाद फेसल - तकमित दायिगल
दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर ग्राम पंचायत... धनावक